

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) सं.प.अ. / 46 / 2022


दिनांक : 11 / 03.2022

श्रीमती अक्षि कंसल (RJ0667), विशिष्ट न्यायाधीश, सती निवारण प्रकरण, जयपुर महानगर-II को दिनांक 14.03.2022 से 26.04.2022 तक 44 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) स्वीकृत किया जाता है।

सुश्री आशा चौधरी (RJ0591), अति. सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), जयपुर महानगर-II को श्रीमती अक्षि कंसल के उक्त अवकाश की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ विशिष्ट न्यायाधीश, सती निवारण प्रकरण, जयपुर महानगर-II के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित/नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:-

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. सुश्री आशा चौधरी (RJ0591), जिनको विशिष्ट न्यायाधीश, सती निवारण प्रकरण, जयपुर महानगर-II के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से,



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:-स्था.बी.2 (4)/35/2011/2046

दिनांक : 11/03.2022

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-II को उनके पत्रांक 1453 दिनांक 07.03.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती अक्षि कंसल (RJ0667), विशिष्ट न्यायाधीश, सती निवारण प्रकरण, जयपुर महानगर-II
4. विशिष्ट न्यायाधीश, सती निवारण प्रकरण, जयपुर महानगर-II
5. सुश्री आशा चौधरी (RJ0591), अति. सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), जयपुर महानगर-II
6. अति. सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण), जयपुर महानगर-II
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।


सहायक रजिस्ट्रार